प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–30.03.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **99 वाहनों से मु0– 17,200 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

पैदल गश्त अभियानः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते **290 भा0द0वि0/34 पुलिस अधिनियम में 20 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 11 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

17 वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 17 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 29.03.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–08 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 100 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राजू उर्फ लड्डू पुत्र जोखू लाल निवासी परसा सोहसा थाना को0देहात गोण्डा जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–107/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रोशन पुत्र स्व0प्यारे लाल निवासी ग्राम करदा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–127/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. गंगाराम पुत्र सीताराम निवासी बरियारपुरवा थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–254/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. जगदीश पुत्र सुखीराम निवासी लल्लकी पुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–80/19, 02. मदनलाल पुत्र सुखलाल निवासी लल्लकी पुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–81/19, 03. शत्रुधन पुत्र बनवारी निवासी लल्लकी पुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–82/19, 04. शिवकुमारी पत्नी अलोक कुमार लल्लकी पुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–83/19, 05. मंगलादेवी पत्नी राकेश कुमार लल्लकी पुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–84/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

जालसाजी करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जालसाजी करने का आरोपी अभियुक्त– इस्माइल पुत्र आशिक अली निवासी धनौली थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को थाना को0 नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–704/16 धारा 419.420.467.468.471 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त द्वारा वादी साहिबदीन उर्फ गुल्ले पुत्र दलपत निवासी धनौली थाना को0 नगर जनपद गोण्डा की जमीन को कूटरचित ढंग से फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर किसी अन्य व्यक्ति को बैनामा करा दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को0 नगर पर दिनांक 07.09.2016 को अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें को0 नगर पुलिस द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 30.03.2019 को धनौली बाजार से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

जानलेवा हमला करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना परसपुर पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त– धर्मेश पुत्र श्रीचन्द्र निवासी भानपुरवा पोस्ट विशुनपुर कला थाना परसपुर जनपद गोण्डा को थाना परसपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–90/19 धारा 323.325.504.506 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

दिनांक 26.03.2019 को मिट्टी की ट्राली को उतारने की बात को लेकर विवाद के चलते उक्त अभियुक्त द्वारा वादी के ऊपर कट्टे से फायर कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा उक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें परसपुर पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 30.03.2019 को मुखबिर की सूचना पर भानूपुरवा मोड के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिय गया।

लड़की से छेडछाड व मारपीट करने के आरोप में 03 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. मो0 शोयब पुत्र अहमद हुसैन नि0ग्राम घनश्यामपुर ग्रन्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
2. अमीर हमजा पुत्र निजामुद्दीन नि0ग्राम घनश्यामपुर ग्रन्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
3. नौसाद पुत्र मो0 युनूस नि0ग्राम घनश्यामपुर ग्रन्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–91/19 धारा 452.354(क).323.504.506 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 29.03.2019 को उक्त अभियुक्तगणों द्वारा वादिनी कुशमा देवी पत्नी सीताराम निवासी घनश्यामपुर ग्रन्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा की पुत्री के साथ छेडखानी व मारपीट की थी। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना छपिया में उक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। मामला दो सम्प्रदाय के बीच के बीच का था। कोई बढा विवाद न होने के चलते थाना प्रभारी छपिया ने पुलिस टीम गठित कर उक्त आरोपी अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु सुरागरसी–पतारसी करते हुए आज दिनांक 30.03.2019 को मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्तगणों को घनश्याम पुर ग्रण्ट से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक छपिया श्याम बहादुर सिंह
2. उ0नि0 सुशील कुमार सिंह
3. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव
4. का0 मनोज कुमार, 5. म0का0 वर्षा गुप्ता।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **कुल– 41 विवेचनाओं** का निस्तारण किया गया।

बरामदगी–

01. 100 ली0 अवैध कच्ची शराब।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल गोण्डा दिनांक 30.03.2019

हिस्ट्रीशीटर अपराधी नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. नासिर पुत्र अजीज नि0 ग्राम मल्हीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियुक्त–
01.मु0अ0सं0–90/19 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस ऐक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास–
01. मु0अ0सं0–107/06 धारा 376.504 भादवि
02. मु0अ0सं0–136/08 धारा 401 भादवि
03. मु0अ0सं0–138/08 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
04. मु0अ0सं0–118/17 धारा 363.366.504 भादवि
05. मु0अ0सं0–174/17 धारा 3/5ए/8 गोबध निवारण अधिनियम
06. मु0अ0सं0–76/18 धारा 435 भादवि
07. मु0अ0सं0–244/18 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
08. मु0अ0सं0–16/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी–
01. 1 कि0 400 ग्राम नाजायज गांजा।

संक्षिप्त विवरण–
जनपद गोण्डा में लगातार प्राप्त हो रही अवैध मादक पदार्थो की तस्करी की सूचनाओं के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक गोण्डा आर0 पी0 सिंह द्वारा उक्त सूचनाओं की सत्यता एवं प्रमाणिकता की स्वयं जांच करवाकर जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपियों के विरूद्ध समस्त थानो को आवश्यक दिशा निर्देश दिये थे। जिसके क्रम में आज दिनांक 30.03.2019 को थाना छपिया की टीम को सफलता प्राप्त हुई। प्रभारी निरीक्षक छपिया ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मादक पदार्थो की तस्करी करने हेतु चांदनी चौक के पास खड़ा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक छपिया मय हमराह फोर्स के साथ मुखबिर की सूचना व निशान देही पर जाकर उक्त अभियुक्त को घेरा बन्दी करके गिरफ्तार उसके कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम नाजायज गांजा बरामद कर अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. प्रभारी निरीक्षक छपिया श्याम बहादुर सिंह।
02. उ0नि0 विजय प्रताप सिंह।
03. का0 अरविन्द यादव।
04. का0 शिव कुमार नायक।
05. का0 पंकज कुमार यादव।